राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.......1771, 1772, 1773, 1774 एवं 1775 / 2016..................... जिला ....झुन्झुनू....................

उनवान : मैसर्स अंकुश मार्केटिंग प्रा0लि0, चिड़ावा, झुन्झुनू

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर।

(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनू।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के.एल.जैन, सदस्य

13 / 01 / 2017

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरावंचन, झुन्झुनू (जिसे आगे **'निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध प्रवेश कर अधिनियम की धारा 15(1)(2), 34A, 35(1)(a) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा सृजित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) को आंशिक स्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रवेश कर अधिनियम की धारा 24 सपठित वेट एक्ट की धारा 82 / 38(4) के तहत प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में निम्न तालिकानुसार बकाया राशियों की वसूली कार्यवाही को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। पांचों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
1771 / 16	10–11	1,32,754	66,865	65,889
1772 / 16	12–13	93,284	50,875	42,409
1773 / 16	13–14	2,89,129	1,59,139	1,29,990
1774 / 16	14–15	65,35,959	38,97,109	26,38,850
1775 / 16	15–16	35,318	21,888	13,430

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में आयातित माल पर किसी प्रकार के प्रवेश कर का दायित्व नहीं होते हुए भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध प्रवेश कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग की वसूली के सम्बन्ध में किसी समुचित कारण का उल्लेख किये बिना ही अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक स्वीकार किये जाने को

लगातार 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/01/2017

अविधिक होने का तर्क प्रस्तुत किया। उक्त कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना बताते हुए बकाया वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित प्रकरणों के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, कथन किया कि व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रवेश कर देय योग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में न तो विवरणीयाँ प्रस्तुत की एवं न ही प्रवेश कर जमा करवाया। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है, साथ ही तर्क दिया कि राजस्थान टैक्स बोर्ड द्वारा समान तथ्यों पर दिये गये अपील संख्या 1582 व 1583/2015 दिनांक 09.10.2015 के आलोक में स्थगन हेतु प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अस्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील/स्थगन प्रार्थना–पत्र के निर्णय हेतु धारा 23 व 24 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी एवं राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों बाबत निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :–

इसी प्रकार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 23 निम्न प्रकार है :–

23. Appeals. -

(1) Any person objecting to an order affecting him passed under the provisions of this Act may appeal to such authority as may be prescribed (hereinafter referred to as the appellate authority).

(2) The appeal shall be preferred within thirty days,-

(i) in respect of an order of assessment, from the date on which the notice of assessment was served on the appellant, and

(ii) in respect of any other order, from the date on which the order was communicated to the appellant:

Provided that the appellate authority may admit an appeal preferred after the period of thirty days aforesaid if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) (a) No appeal against an order of assessment shall be entertained by the appellate authority unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax penalty not disputed in the appeal;

(b) Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the tax or other amount shall be paid in accordance with the order against which the appeal has been preferred:

Provided that the appellate authority may in its discretion, give such direction as it thinks fit in regard to the payment of tax or other amount payable under clause (b) if the appellant furnishes sufficient security to its satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(5) In disposing of an appeal, the appellate authority may, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard,

लगातार...........3

13/01/2017

(a) in the case of an order of assessment or penalty,-

(i) confirm, reduce, enhance or annul the assessment or penalty or both; or

(ii) set aside the assessment and direct the assessing authority to make a fresh assessment after such further enquiry as may be directed; and

(iii) pass such other orders as it may think fit.

(b) Every order passed on appeal under this section shall, subject to the provisions of sections 24, 25, 27 and 28, be final.

24. Appeal to the Tax Board.-

(1) Any officer empowered by the State Government in this behalf or any other person objecting to an order passed by the appellate authority under section 23 may appeal to the Tax Board within a period of sixty days from the date on which the order was communicated to him.

(2) The Tax Board may admit an appeal preferred after the period of sixty days referred to in sub section (1), if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appeal or the memorandum of cross-objection shall be in the prescribed form, and be verified in the prescribed manner, and in the case of an appeal preferred by any person other than an officer empowered by the State Government under sub-section (1) shall be accompanied by a fee equal to two percent of the amount of assessment objected to, provided that the sum payable in no case be less than two hundred rupees or more than one thousand rupees.

(4) Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty or any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellate authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board.

उपरोक्त प्रावधानों में धारा 24(4) के अुनसार "Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty of any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellat authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board." प्रावधित है, में स्पष्ट तौर पर अंकित है कि ऐसे प्रकरणों में स्थगन बाबत बोर्ड की अधिकारिता वर्जित है। अतः उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, यह पीठ अनुभव करती है कि प्रकरण में चूंकि अपील, अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील का निस्तारण शेष रहने के कारण उक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में प्रकरण में विवादित कर शास्ति व अनुवर्ती ब्याज की वसूली पर रोक लगाने की अधिकारिता कर बोर्ड की इस पीठ को नहीं है। ऐसा ही निर्णय स्थगन के सम्बन्ध में राजस्थान टैक्स बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1582 व 1583/2015 दिनांक 09.10.2015 में पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाई गई आपत्ति/तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	13.1.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर